रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239199 CG-DL-E-29092022-239199

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4376] No. 4376] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2022/आश्विन 6, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022/ ASVINA 6, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

का.आ. 4566(अ).—केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) के अधीन प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकाशित भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3- उप-खंड (ii) में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5188 (अ) तारीख 13 दिसम्बर, 2021 के हिंदी पाठ में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात:

- 1. उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा की सारणी में,-
 - i. स्तंभ (2) में क्रम संख्या 1 में "वन और पर्यावरण विभाग" शब्दों के स्थान पर "पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग" शब्द रखे जाएंगे।
 - ii. स्तंभ (2) में क्रम संख्या 10 में "प्राचार्य" शब्द के स्थान पर " प्राध्यापक" शब्द रखा जाएगा।
 - iii. स्तंभ (2) में क्रम संख्या 14 में "भुवनेश्वर" शब्द के स्थान पर "महाराष्ट्र" शब्द रखा जाएगा।
- 2. उक्त अधिसूचना में, पैरा 6 में "ओडीशा" शब्द के स्थान पर "महाराष्ट्र" 'शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 12-5/2005-आई.ए.III(भाग)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

6507 GI/2022 (1)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE ORDER

New Delhi, the 28th September, 2022

- **S.O. 4566(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India, the Central Government hereby makes the following amendment in the Hindi version of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II-Section 3- Sub-section (ii), vide number S.O. 5188(E), dated the 13th December 2021, namely:-
 - 1. In the said notification, there is no change in the English version.

[F. No. 12-5/2005-IA.III (part)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.